न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सोकरिया, RAS

अपील संख्या 81 / 2022

1 सागरमल आयु 71 वर्ष पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मनरूप पुत्र मातुराम।
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र मातुराम समस्त जाति जाट निवासीगण सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 ओमपति पत्नी सेहीराम पुत्री मातुराम।
4 सज्जना पत्नी मूलचन्द पुत्री मातुराम।
5 सुमन पत्नी शुभकरण पुत्री मातुराम समस्त जाति जाट निवासीगण सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी बोलियो की ढ़ाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 मालिया उर्फ मालाराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासीगण सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दावा उनवानी मृतक मातुराम
बनाम मालिया उर्फ मालीराम वगैरह दावा बाबत विभाजन
व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 187/2018 (260ए/2023)
(314/2012) निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 24.03.2022

अपील संख्या 82/2022

1 सागरमल आयु 71 वर्ष पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मालिया उर्फ मालाराम पुत्र बीरबल।
2 मनरूप पुत्र मातुराम।
3 राजेन्द्र कुमार पुत्र मातुराम समस्त जाति जाट निवासीगण सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 ओमपति पत्नी सेहीराम पुत्री मातुराम।
5 सज्जना पत्नी मूलचन्द पुत्री मातुराम।
6 सुमन पत्नी शुभकरण पुत्री मातुराम समस्त जाति जाट निवासीगण सेहीकलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी बोलियो की ढ़ाणी तन सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
...िकर(कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (झुंझुनूं) सत्यमेव जयते

7 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अन्तिम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दावा उनवानी सागरमल
बनाम मालिया उर्फ मालीराम वगैरह दावा बाबत विभाजन
व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 260/2013 (383/2012)
निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 24.03.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25-10-23

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 187/2018 एवं 260/2013 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पिता मातुराम ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 के विरूद्व अदालत मातहत के यहां एक दावा आराजी हाल खसरा नम्बर 8,9,11,14,262, 263, 264,294 कुल किता 8 कुल रकबा 8.68 हैक्टेयर सरहद मौजा सेहीकंला तहसील सुरजगढ़ के बाबत दावा संख्या 187/2018(260ए/2013)(314/12) प्रस्तुत किया और दावा में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट सागरमल ने भी एक दावा अदालत मातहत के यहां रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पिता मातुराम व रेस्पोडेंट संख्या 6 मालिया उर्फ मालीराम के विरूद्व ऊपर वर्णित आराजियात के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा संख्या 260/2013(383/2012) पेश किया। उपरोक्त दावा उनवानी मातुराम बनाम मालीराम वगैरह मुकदमा नम्बर 187/2018 (260ए/2013)(314/2012) को एवं दावा उनवानी सागरमल बनाम मालिया उर्फ मालीराम वगैरह मुकदमा नम्बर 260/2013 (383/2012) को अदालत मातहत ने दिनांक 05.10.2015 को निर्णित कर अन्तिम रूप से डिक्री किया। उपरोक्त दोनों दावों में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री के विरूद्व अपीलांट द्वारा अपील संख्या 49/2016 उनवानी सागरमल बनाम मातुराम व अपील संख्या 137/2016 उनवानी सागरमल बनाम मालिया उर्फ मालीराम वगैरह प्रस्तुत की गई और उपरोक्त दोनों अपीलों को इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2018 के द्वारा स्वीकार किया और दोनों दावों में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये गये कि दोनों प्रकरणों को कंसोलिटेड कर उभयपक्ष की मौजुदगी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 की पालना में विवादित भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को आपत्ति पर अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.10.2018 की पालना के कम में अदालत मातहत ने दिनांक 14.11.2018 को उपरोक्त दोनों दावों को दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये और दावा उनवानी सागरमल बनाम मालिया को दावा उनवानी मातुराम बनाम मालिया के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

कंसोलिटेड कर सुनवाई शुरू की गई। दौराने सुनवाई मातुराम का देहान्त हो गया जिस पर दोनों दावों में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मातुराम के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 को रिकार्ड पर लिया गया और इस न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव की कार्यवाही तहसीलदार सुरजगढ़ से करवाई। दिनांक 24.03.2022 की आदेशिका पर अदालत मातहत ने निर्णय कर विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर दावा को अन्तिम रूप से डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह दो अपील प्रथक–प्रथक धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये बिना, विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की आपत्ति पर निर्णय किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय एवं दिवानी प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रथक से निर्णय पारित नही किया गया है। अपितु आदेशिका में अंकित है कि दिनांक 24.03.2022 को सांय 6 बजे तक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथक से निर्णय नही लिखवाया गया एव ना ही आगे की तारिख पेशी नियत की गई पत्रावली आगामी आदेशार्थ रूबरू पी.ओ. साहब पेश हो। स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना पारित किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 व अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने कोई चाराजोही नही की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर अंकन कर्मचारी द्वारा किया गया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.03.2022 को विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

करने के आदेश दिये है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये बिना, विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की आपत्ति पर निर्णय किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय एवं दिवानी प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रथक से निर्णय पारित नही किया गया है। अपितु आदेशिका में अंकित है कि दिनांक 24.03.2022 को सांय 6 बजे तक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथक से निर्णय नही लिखवाया गया एव ना ही आगे की तारिख पेशी नियत की गई पत्रावली आगामी आदेशार्थ रूबरू पी.ओ. साहब पेश हो। स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.10.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर